

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 20/01/23

रीडर/2023/240

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 शंकरसिंह 2 आम्बसिंह पिसरान
जोधसिंह 3 बालसिंह 4 सबलसिंह 5
लक्ष्मणसिंह पिसरान प्रेमसिंह 6
नारायणसिंह 7 गेनसिंह 8 गिरधरसिंह
पिसरान दुर्गसिंह 9 मंजूदेवी पत्नी
दुर्गसिंह 10 रूघसिंह 11 गंगसिंह 12
गोपालसिंह 13 जुंजारसिंह पिसरान
बागसिंह 14 नखतुदेवी पत्नी बागसिंह
15 तिलोकसिंह 16 पन्नेसिंह पिसरान
इजतसिंह 17 अकूदेवी पत्नी इजतसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी आर्दश
बस्ती बिशाला तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 मांजूदेवी पत्नी दुर्गसिंह जाति रावणा राजपूत 2
स्वरूपसिंह 3 माधूसिंह पिसरान दीपसिंह जाति राजपूत 4
धनीदेवी पत्नी पन्नाराम जाति रावणा राजपूत 5 बाबू पुत्र
छगना फौत के कायम मुकाम 5/1 राजूसिंह 5/2
उम्मेदसिंह 5/3 गिरधरसिंह 5/4 सवाईसिंह पिसरान
बाबूसिंह 6 गेमराराम पुत्र छगना फौत के कायम मुकाम
6/1 दरिया पत्नी गेमरा उर्फ गेमरसिंह 6/2
गोविन्दसिंह 6/3 सवाईसिंह पिसरान गेमरा उर्फ
गेमरसिंह 7 स्वरूपा पुत्र छगना 8 भमराराम 9 मेहराराम
10 भंवराराम पिसरान लच्छाराम 11 सरूपाराम 12
सवाईराम पिसरान जयराम जाति कुम्हार 13 नारायणसिंह
पुत्र हमीरसिंह 14 जालमसिंह पुत्र उतमसिंह 15 हिन्दूसिंह
16 मनोहरसिंह पिसरान देरावरसिंह 17 रायसिंह पुत्र
सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श बस्ती बिशाला
तहसील व जिला बाड़मेर 6 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 196/2021

दिनांक- 12/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती बिशाला पटवार क्षेत्र बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1165/742 रकबा 66.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20/01/23

क्रमांक :- रीडर/2023/241-44

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बिशाला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शंकरसिंह पुत्र जोधसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी आर्दश बस्ती बिशाला बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मांजूदेवी पत्नी दुर्गसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी आर्दश बस्ती बिशाला बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर